रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25012022-232913
CG-MH-E-25012022-232913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] **नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943**
No. 51] **NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:

परंतु यह कि विनियम 3 के उप-विनियम IV, विनियम 3 के उप-विनियम VI, विनियम 3 के उप-विनियम VIII के खंड (i) के उप-खंड (ङ) और विनियम 3 के उप-विनियम IX के खंड (iii) के उप-खंड (ख) एवं

उप-खंड (च), खंड (iv) के उप-खंड (ख) एवं उप-खंड (ग) तथा खंड (vi) में किए गए संशोधन 1 अप्रैल, 2023 को लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,–

I. विनियम 18 के उप-विनियम (15) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) जब न्यासी बहुमत (बहुसंख्या) से विनियम 39 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अनुसार किसी स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) करने या समय से पहले ही किसी सीमित अवधि वाली स्कीम की यूनिटों को रिडीम (का मोचन) करने का निर्णय ले लें ।"

II. विनियम 39 के उप-विनियम (2) में, शब्दों *"किसी पारस्परिक निधि की कोई स्कीम यूनिटधारकों को देय राशि का प्रतिसंदाय करने के पश्चात् परिसमाप्त की जा सकती है"* के स्थान पर शब्द तथा चिह्न *"किसी म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की किसी स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) किया जाएगा"* आ जाएंगे।

III. विनियम 39 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) जहाँ उप-विनियम (2) के तहत किसी स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) किया जाना हो, वहाँ न्यासी एक दिन के भीतर, -

क) बोर्ड को; और

ख) पूरे भारत में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिस स्थान पर म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) का गठन हुआ हो उस स्थान पर परिचालित होने वाले स्थानीय भाषा के एक समाचारपत्र में;

सूचना (नोटिस) देंगे, जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनकी वजह से स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) किया जा रहा हो:

परंतु यह कि जहाँ उप-विनियम (2) के खंड (क) के तहत किसी स्कीम का परिसमापन (को वाइंड-अप) किया जाना हो, वहाँ न्यासी, यूनिटधारकों की सहमति, प्रति यूनिट एक मत के आधार पर कराए जाने वाले मतदान में भाग लेने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत के आधार पर, प्राप्त करेंगे, और उप-विनियम (3) के तहत सूचना (नोटिस) प्रकाशित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर मतदान के परिणाम प्रकाशित करेंगे:

परंतु यह और कि यदि न्यासी उप-विनियम (2) के खंड (क) के तहत यूनिटधारकों की जरूरी सहमति प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे में स्कीमों का कामकाज मतदान के परिणाम प्रकाशित किए जाने के बाद दूसरे कारबार के दिन से दोबारा शुरू किया जाएगा ।"

IV. विनियम 50 के उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1क) म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की स्कीमों के वित्तीय विवरण और लेखे (अकाउंट) भारतीय लेखा मानकों तथा उनके अनुक्रम में जारी किए गए किसी और दस्तावेज [जो भी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा अधिसूचित किए जाएँ] के अनुसार तैयार किए जाएंगे:

परंतु यह कि यदि भारतीय लेखा मानकों और इन विनियमों तथा इनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं में कोई विरोधाभास आए, तो ऐसे में आस्ति प्रबंध (असेट मैनेजमेंट) कंपनियाँ इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं का अनुसरण करेंगी।"

V. विनियम 50 के उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) आस्ति प्रबंध (असेट मैनेजमेंट) कंपनी नवीं अनुसूची में यथा निर्धारित और बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित लेखा नीतियों और मानकों का अनुसरण करेगी, ताकि, निष्पक्ष रूप से और सही ढंग से, लेखांकन (अकाउंटिंग) की सुसंगत तारीख तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक स्कीम में फंड (निधि) की आस्तियों (असेट) की बिक्री के सही-सही ब्यौरे प्रदान किए जा सकें तथा उस अवधि के दौरान प्रदर्शन के सही-सही ब्यौरे प्रदान किए जा सकें, और साथ ही यूनिटधारक को होने वाली आमदनी के वितरण या संचयन से संबंधित जानकारी प्रदान की जा सके।"

VI. विनियम 52 के उप-विनियम (6क) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) दलाली और लेनदेन से संबंधित खर्चे, जो सौदा (ट्रेड) करने के प्रयोजनार्थ किए जाते हों, नकदी बाजार (कैश मार्केट) में किए जाने वाले लेनदेन के मामले में सौदे के मूल्य (ट्रेड वैल्यू) के 0.12 प्रतिशत तक और डेरिवेटिव संबंधी लेनदेन के मामले में सौदे के मूल्य (ट्रेड वैल्यू) के 0.05 प्रतिशत तक;"

VII. विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(54) प्रत्येक म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) या आस्ति प्रबंध (असेट मैनेजमेंट) कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी, जैसा ग्यारहवीं अनुसूची में बताया गया है और जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।"

VIII. नवीं अनुसूची में,

i. भाग-क में,

क. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनार्थ, म्यूचुअल फंड समस्त निवेश बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) पर दर्शाएंगे और तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में निवेश बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) पर दर्शाएंगे। निवेश की बिक्री किए जाने या को रिडीम (का मोचन) किए जाने पर होने वाले वास्तविक नफा-नुकसान और संभावित मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास को सभी वित्तीय विवरणों में आमदनी लेखों (रेविन्यू अकाउंट) के जरिए दर्शाया जाएगा। हालाँकि, निवेश की मूल्यवृद्धि की वजह से होने वाले संभावित मुनाफों का वितरण तो नहीं किया जा सकता, इसलिए वितरणयोग्य आय तय करते समय इस मद को शामिल न किए जाने का प्रावधान कर दिया जाए।"

ख. खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) निवेश को रखे रहने के संबंध में लगे खर्च और निवेश की बिक्री करने से हुए नफे-नुकसान की गणना करने के लिए, "भारित औसत लागत" (वेटिड एवरेज कॉस्ट) की पद्धति अनिवार्य रूप से अपनाई जाएगी।"

ग. खंड (झ) में, मौजूदा खंड उप-खंड (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।

घ. खंड (झ) के उप-खंड (1) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(2) न्यासी, यदि जरूरी हो, तो वितरणयोग्य मुनाफों (लाभों) का एक हिस्सा डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिज़र्व (लाभांश समानीकरण आरक्षिति) में अंतरित (ट्रांसफर) कर सकेंगे। यह अंतरण (झ)(1) के अनुसार इक्विलाइजेशन अकाउंट संबंधी अपेक्षा से भिन्न होगा।"

ङ. खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ट) अर्जित किए गए या बेचे गए निवेश को लेनदेन की कीमत (ट्रांजेक्शन प्राइस) पर [जिनमें से लेनदेन संबंधी सभी खर्चे घटाए जाएंगे, जो निवेशों के अर्जन / की बिक्री करने में लगे हों, जैसे दलाली, स्टांप शुल्क और वह शुल्क जिसका दलाल के कॉण्ट्रैक्ट नोट (संविदा नोट) में आम तौर पर जिक्र होता हो] दर्शाया जाएगा।"

च. खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ड) अव्यापारित निवेशों (नॉन-ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट) का मूल्य आठवीं अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सद्भावपूर्वक तय किया जाएगा:

परंतु यह कि रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीमों के मामले में, असूचीगत (अनलिस्टिड) इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।"

IX. ग्यारहवीं अनुसूची में,

i. पैरा 1 के खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(vi) इस तरह का एक कथन:

मौजूदा और भावी यूनिटधारक / निवेशक, लिखित में निवेदन करके, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड), वार्षिक रिपोर्ट और स्कीम संबंधी दस्तावेजों की कागजी प्रति बहुत मामूली कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं।"

ii. पैरा 2 में,

क. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश के संबंध में – नवीं अनुसूची के भाग क में दी हुई लेखा नीतियाँ अपनाई जाएंगीं।"

ख. खंड (ख) के उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(i) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश के संबंध में नवीं अनुसूची के भाग क में दी हुई लेखा नीतियाँ;"

iii. पैरा 3 में,

क. खंड (i) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों *"तुलनपत्र में उसकी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां स्कीमवार दी जाएंगी। इन विशिष्टियों में इसके उपाबंध 1क और 1ख में प्रमाणित*

जानकारी होगी।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न *"तुलन-पत्र में उसकी आस्तियों (असेट्स) और देयताओं के स्कीम के अनुसार विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में दिए जाएंगे।"*आ जाएंगे।

ख. खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ii) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए गए निवेश का कुल बाजार मूल्य हर तरह के निवेश के संबंध में अलग-अलग दिखाया जाएगा, जैसे इक्विटी शेयर, अधिमानी (प्रेफरेंस) शेयर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) डिबेंचर, असंपरिवर्तनीय (नॉन-कन्वर्टिबल) डिबेंचर या बॉण्ड जिनके बारे में यह भी अलग-अलग दिखाया जाएगा कि इनमें से कौन-कौन से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और किन-किन का प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है।"

ग. खंड (vii)(क) के उप-खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(च) वर्ष के दौरान निवेश की खरीद (के क्रय) और बिक्री (के विक्रय) का कुल मूल्य और जिसे औसत शुद्ध आस्ति (असेट) के प्रतिशत के रूप में भी दर्शाया जाए;"

घ. खंड (vii)(क) के उप-खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(छ) यदि प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) को छोड़कर, जहाँ अव्यापारित निवेश (नॉन-ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट) का मूल्य "सद्भावपूर्वक" तय किया गया हो, वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार शुद्ध आस्तियों (नेट असेट्स) के 5% से अधिक हो जाएँ, वहाँ ऐसे निवेश का कुल मूल्य और शुद्ध आस्तियों से उनका प्रतिशत।

यदि ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई कीमत को छोड़कर किसी दूसरी कीमत पर तय किया जाता है, वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य और शुद्ध आस्तियों से उनका प्रतिशत; और"

ङ. खंड (vii)(क) के उप-खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ज) स्कीम की कुल आय में निवेश के संभावित मूल्यह्रास या मूल्यवृद्धि को शामिल किया जाएगा।"

iv. पैरा 4 में,

क. खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(i) आमदनी लेखे में म्यूचुअल फंड (पारस्परिक निधि) की आय, उसके व्यय और अधिशेष (सरप्लस) के स्कीम के अनुसार विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में दिए जाएंगे।"

ख. खंड (iv) हट जाएगा।

ग. खंड (v)(क) के उप-खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) निवेश की बिक्री किए जाने या को रिडीम (का मोचन) किए जाने से हुए मुनाफे या नुकसान को सकल आधार पर दिखाया जा सकेगा;"

घ. खंड (v)(क) के उप-खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) कुल आय और व्यय, जो औसत शुद्ध आस्तियों (असेट) के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाएगा, और जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी।"

v. पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

"(6) प्रति यूनिट पिछले आँकड़े

(1) इस विवरण में स्कीम के अनुसार पिछले 3 वर्षों के प्रति यूनिट आँकड़ों की निम्नानुसार जानकारी दी जाएगी:

(क) प्लान / ऑप्शन के स्तर पर प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू);

(ख) प्रति यूनिट सकल आय, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(i) निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे (नुकसान) से भिन्न आय (प्रति यूनिट);

(ii) एक स्कीम से दूसरी स्कीम में निवेश की बिक्री / के अंतरण (ट्रांसफर) से हुए मुनाफे (नुकसान) से हुई आय (प्रति यूनिट);

(iii) किसी अन्य पक्ष (पार्टी) को निवेश की बिक्री से हुए मुनाफे (नुकसान) से हुई आय (प्रति यूनिट);

(iv) पिछले वर्ष की आरक्षिति (रिज़र्व) से आमदनी लेखे (रेविन्यू अकाउंट) में किया गया अंतरण (ट्रांसफर) [प्रति यूनिट]।

(v) सकल आय - ख(i), (ii) एवं (iii) का योग

(ग) व्यय, बट्टे खाते डाली गई (राइट-ऑफ की गई) राशि, अमॉरटाइजेशन (क्रमिक अपाकरण) और शुल्क की रकम का कुल योग (प्रति यूनिट);

(घ) प्रति यूनिट शुद्ध आय (सकल आय – कुल व्यय);

(ङ) निवेश के मूल्य में संभावित मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास (प्रति यूनिट);

(च) यदि यूनिटों में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) हुई हो, तो वर्ष के दौरान एक यूनिट में सबसे अधिक किस कीमत पर सौदेबाजी हुई और सबसे कम किस कीमत पर सौदेबाजी हुई;

(छ) व्यय का औसत शुद्ध आस्तियों (नेट असेट) से अनुपात (प्रतिशत के रूप में);

(ज) सकल आय का औसत शुद्ध आस्तियों (नेट असेट) से अनुपात (प्रतिशत के रूप में) [जिसमें पिछले वर्ष की आरक्षिति (रिज़र्व) से आमदनी लेखे में किया गया अंतरण (ट्रांसफर) शामिल न किया जाए, किंतु निवेश पर संभावित मूल्यवृद्धि को शामिल किया जाए];

(झ) प्लान / ऑप्शन के स्तर पर वर्ष के दौरान एक यूनिट का सबसे अधिक एनएवी कितना रहा और सबसे कम एनएवी कितना रहा;

(ञ) प्रति यूनिट अंकित मूल्य (फेस वैल्यू);

(ट) कुल यूनिट पूँजी (रुपये में);

(ठ) औसत शुद्ध आस्ति (नेट असेट) [रुपये में];

(ड) दिनों की संख्या;

(ढ) वर्ष / अवधि के अंत तक की स्थिति के अनुसार इक्विटी / इक्विटी संबद्ध लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) का भारित औसत कीमत-अर्जन अनुपात (वेटेड एवरेज प्राइस अर्निंग्स रेशियो)।"

vi. उपाबंध 1क, 1ख और 2 हट जाएंगे ।

X. बारहवीं अनुसूची में,

i. क्र.सं. 6.1 के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

"(6.1) व्यय

- *कमीशन*
- *अन्य व्यय"*

ii. क्र.सं. 6.5 के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

"(6.5) दैनिक शुद्ध आस्तियों (असेट) के प्रतिशत के रूप में कुल आवर्ती (रिकरिंग) व्यय (प्लान के स्तर पर)"

iii. टिप्पण का खंड 6 हट जाएगा ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./606/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –

(1) 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा

(2) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा

(3) 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा

(4) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा

(5) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा

(6) 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा

(7) 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा

(8) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा

(10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा

(11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा

(12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा

(13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 956 (अ), द्वारा

(14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा

(15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 632 (अ), द्वारा

(16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा

(17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

(18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा

(19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा

(20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा

(21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा

(22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा

(23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा

(24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा

(25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008,फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

(26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं.एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा

(27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा

(28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा

(29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा

(30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा

(31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा

(32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा

(33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा

(34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा

(35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा

(36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा

(37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा

(38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039, द्वारा

(39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा

(41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा

(42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा

(43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा

(44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा

(45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा

(46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा

(47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा

(48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा

(49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा

(50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा

(51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा

(52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(53) 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा

(54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा

(55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/36, द्वारा

(57) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/56, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/70.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely–

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

   Provided that the amendments to sub-regulation IV of regulation 3, sub-regulation VI of regulation 3, sub-clause (e) of clause (i) of sub-regulation VIII of regulation 3 and sub-clause (b) and (f) of clause (iii), sub-clause (b) and (c) of clause (iv) and clause (vi) of sub-regulation IX of regulation 3, shall come into force on April 1, 2023.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,–

   I. clause (c) of sub-regulation (15) of regulation 18 shall be substituted with the following clause, namely,-

   "(c) when the majority of the trustees decide to wind up a scheme in terms of clause (a) of sub regulation (2) of regulation 39 or prematurely redeem the units of a close ended scheme."

   II. in sub-regulation (2) of regulation 39, the words and symbol "*may be wound up, after repaying the amount due to the unit holders*" shall be substituted with the words "*is to be wound up".*

   III. sub-regulation (3) of regulation 39 shall be substituted as follows, namely -

   "(3) Where a scheme is to be wound up under sub-regulation (2), the trustees shall give notice within one day, disclosing the circumstances leading to the winding up of the scheme, —

a) *to the Board; and*

b) *in two daily newspapers having circulation all over India, a vernacular newspaper circulating at the place where the mutual fund is formed:*

Provided that where a scheme is to be wound up under clause (a) of sub-regulation (2), the trustees shall obtain consent of the unit holders participating in the voting by simple majority on the basis of one vote per unit and publish the results of voting within forty five days from the publication of notice under sub-regulation (3):

Provided further that in case the trustees fail to obtain the required consent of the unitholders under clause (a) of sub-regulation (2), the schemes shall be reopened for business activities from the second business day after publication of results of the voting."

IV. after sub-regulation (1) of regulation 50, the following sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(1A) The financial statements and accounts of the mutual fund schemes shall be prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) and any addendum thereto, as notified by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time:

Provided that in case there is any conflict between the requirements of IND AS and these regulations and guidelines issued thereunder, the asset management companies shall follow the requirements specified under these regulations."

V. in sub-regulation (3) of regulation 50, after the words *"Ninth Schedule"* and before the words *"so as to"*, the words and symbol *"and as specified by the Board from time to time,"* shall be inserted.

VI. clause (a) of sub-regulation (6A) of regulation 52, shall be substituted with the following, namely,-

"(a) brokerage and transaction costs which are incurred for the purpose of execution of trade up to 0.12 per cent of trade value in case of cash market transactions and 0.05 per cent of trade value in case of derivatives transactions;"

VII. regulation 54 shall be substituted with the following, namely,-

"(54) Every mutual fund or the asset management company shall prepare in respect of each financial year, an annual report and annual financial statements of the schemes as specified in the Eleventh Schedule and as specified by the Board from time to time."

VIII. in Ninth Schedule,

i. In Part A

a. clause (a) shall be substituted with the following, namely,-

"(a) For the purposes of the financial statements, mutual funds shall mark all investments to market and carry investments in the balance sheet at market value. The realised gains or losses on sale or redemption of investment, as well as unrealised appreciation or depreciation shall be recognised in all financial statements through Revenue Accounts. However, since the unrealised gain arising out of appreciation on investments cannot be distributed, provision has to be made for exclusion of this item when arriving at distributable income."

b. in clause (d), after the word and symbol *"the ""* and before the word *"average"*, the word *"weighted"* shall be inserted.

c. in clause (i), the existing clause shall be numbered as sub-clause (1).

d. after sub-clause (1) of clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

"(2) The Trustees may, if necessary, transfer a portion of the distributable profits to a dividend equalization reserve. Such a transfer would be independent of the requirement to operate an Equalization Account as provided in (i)(1)."

e. clause (k) shall be substituted with the following, namely,-

"(k). The investments acquired or sold shall be accounted at transaction price excluding all transaction costs such as brokerage, stamp charges and any charge customarily included in the broker's contract note that are attributable to acquisition/sale of investments."

f. clause (m) shall be substituted with the following, namely,-

"(m) Non-traded investments shall be valued in good faith in accordance with the norms specified in the Eighth Schedule:

Provided that in the case of real estate mutual funds schemes, investments in unlisted equity shares shall be valued as per the norms specified by the Board in this regard."

IX. in Eleventh Schedule

vii. clause (vi) of para 1 shall be substituted with the following, namely,-

"(vi) *Statement on the following lines:*

On written request, present and prospective unitholders/investors can obtain a physical copy of the trust deed, the annual report and scheme related documents at a nominal price."

viii. in para 2,

a. clause (a) shall be substituted with the following clause, namely,-

"(a) For investments in securities- The accounting policies given in Part A of the Ninth Schedule shall be followed."

b. sub-clause (i) of clause (b) shall be substituted with the following, namely,-

"(i) The accounting policies given in Part A of the Ninth Schedule in respect of investment in securities;"

iii. in para 3,

a. in clause (i), after the words "*and liabilities*" and before the words and symbol. ''*These particulars*", the words "*in the format specified by the Board" shall be inserted.*

b. in clause (i), the words and symbol "*These particulars shall contain information enumerated in Annexures 1A and 1B hereto*" shall be omitted.

c. clause (ii) shall be substituted with the following, namely,-

"(ii) The aggregate market value of investments in securities shall be stated separately in respect of each type of investment, such as equity shares, preference shares, convertible debentures listed on recognised stock exchange, non-convertible debentures or bonds further differentiating between those listed on recognised stock exchange and those privately placed.".

d. in sub-clause (f) of clause (vii) (A), the words *"average weekly net asset value"* shall be substituted with the words "*average net asset".*

e. sub-clause (g) of clause (vii)(A) shall be substituted with the following, namely,-

"(g) In case of securities, excluding debt securities, where the non-traded investments which have been valued "in good faith" exceed 5% of the net assets at the end of the year, the aggregate value of such investments along with percentage to net assets.

In case of debt securities which have been valued at a price other than the price given by the Independent Valuation Agencies at the end of year, the aggregate value of such securities and percentage to net assets; and"

f. sub-clause (j) of clause (vii)(A) shall be substituted with the following clause, namely,-

"(j) The total income of the scheme shall include unrealised depreciation or appreciation on investment."

iv. in para 4,

a. in clause (i), after the words *"surplus of the mutual fund"*, and before the words, *"These particulars"* the words *"in the format specified by the Board"* shall be inserted.

b. in clause (i), the words, symbol and number *"These particulars shall contain information enumerated in Annexure 2 of this Schedule."* shall be omitted

c. clause (iv) shall be omitted.

d. in sub-clause (b) of clause (v)(A), the word *"net"* shall be substituted with the word *"gross"*.

e. in sub-clause (d) of clause (v)(A), the word *"weekly"* shall be substituted with the word *"daily"*.

v. para 6 shall be substituted with the following, namely,-

*"**(6) Perspective historical per unit statistics***

(1) This statement shall disclose the following schemewise per unit statistics for the past 3 years:

(a) net assets value, per unit at plan/option level;

(b) gross income per-unit broken up into the following components:

(i) income other than profit(loss) on sale of investment, per unit;

(ii) income from profit(loss) on inter-scheme sales/transfer of investment, per unit;

(iii) income from profit(loss) on sale of investment to third party, per unit;

(iv) transfer to revenue account from past year's reserve, per unit.

(v) gross income - sum of b(i),(ii) and (iii)

(c) aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit;

*(d) net income, per unit (gross income – aggregate of expenses)**;***

(e) unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit;

(f) if the units are traded, the highest and the lowest prices per unit during the year;

(g) ratio of expenses to average net assets by percentage;

(h) ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments);

(i) the highest and the lowest NAV per unit during the year at plan/option level;

(j) face value per unit;

(k) total unit capital (in Rupees);

(l) average Net asset (in Rupees);

(m) no. of days;

(n) Weighted average Price Earnings Ratio of equity/equity related instruments held as at end of year/period."

vi. Annexures 1A, 1B and 2 shall be omitted.

X. in Twelfth Schedule,

i. Sl. No 6.1 shall be substituted with the following, namely,-

"(6.1) Expenses

- *Commission*
- *Other Expenses"*

ii. in Sl. No 6.5, after the word *"assets"* the words *"at plan level"* shall be inserted.

iii. clause 6 of Notes shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./606/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended–

(1) On April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).

(2) On January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).

(3) On December 8, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).

(4) On March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).

(5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).

(6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).

(7) On January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).

(8) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).

(9) On July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).

(10) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).

(11) On June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).

(12) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).

(13) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).

(14) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).

(15) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).

(16) On January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.

(17) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).

(18) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).

(19) On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).

(20) On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).

(21) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.

(22) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.

(23) On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.

(24) On October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.

(25) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.

(26) On April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.

(27) On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.

(28) On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.

(29) On April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.

(30) On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.

(31) On July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.

(32) On August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.

(33) On February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.

(34) On 26 September, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.

(35) On 16 April, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.

(36) On 19 June, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.

(37) On 19 August, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.

(38) On 6 May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.

(39) On 23 May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(40) On 30 December, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.

(41) On 15 May, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.

(42) On 12 February, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.

(43) On 15 February, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.

(44) On 13 March, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/02.

(45) On 30 May, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/14.

(46) On 6 December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.

(47) On 13 December, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.

(48) On 1 January, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.

(49) On 26April, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/011.

(50) On 23 September, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.

(51) On 6 March, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/07.

(52) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(53) On 29 October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.

(54) On 4 February, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/08.

(55) On 3 August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(56) On 5 August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/36.

(57) On 9 November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.01.25 22:09:39 +05'30'